

03<sup>01</sup>/<sub>19</sub> परावली पेश हुई। वकील वारी  
दाखि नई। वकील वारी को आवक  
लागू गयी। स्वयं वारीगण को  
आवक लागू गयी। दाखि नई हो  
लिहाजा वाड-वारी वकील वारी की आम  
दाखी- आम पुरवी में खारिज की जाती है।  
परावली मौसल में शुमार होकर दाखिल  
होती है।

(सन्दीप कुमार)  
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)  
रायसिंहनगर